न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/116

डाक्टर विनोद गुप्ता पुत्री भैरूलाल पत्नी मुनव्वर शाह जाति महाजन निवासी काफला बाजार टोंक राजस्थान

– अपीलांट

बनाम

1. डाक्टर बृजबाला पत्नी सुरेश पुत्री भैरूलाल जाति महाजन निवासी विकास कॉलोनी बून्दी
2. राकेश गुप्ता आत्मज भैरूलाल मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   2/1 मीहीर गुप्ता आत्मज राकेश गुप्ता
   2/2 मान्या गुप्ता पुत्री राकेश गुप्ता नाबालिग जर्ये वली माता राधा गुप्ता
   2/3 राधा गुप्ता पत्नी राकेश गुप्ता जाति महाजन
   निवासीगण मकान नम्बर 257 आदर्श कॉलोनी खेड़ली फाटक, कोटा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2/3 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 15.09.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 170/1987 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.1987 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण राकेश व प्रेमलता द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 का पुत्र है तथा वादी संख्या 1 नाबालिग है जो वादी संख्या 2 के संरक्षण में निवास करता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त परिवार है तथा परिवार में पूर्वजों के समय से ही कृषि कार्य होता रहा है तथा संयुक्त हिन्दु परिवार की आय का मुख्य स्त्रोत रहा है। वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त हिन्दु परिवार में ग्राम बडौदिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 198 रकबा 1.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 199 रकबा 3.78 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.81 हैक्टेयर तथा ग्राम रानीपुरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 374 की रकबा 1.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 376 रकबा 1.71 हैक्टेयर कुल 3.41 हैक्टेयर तथा उक्त दोनो गावों की कुल 8.22 हैक्टेयर पुश्तैनी आराजी है। उक्त समस्त आराजी पुश्तैनी है जो पूर्व में वादी संख्या 1 बाबा व प्रतिवादी संख्या

1 के पिता दुलीचंद जी की खातेदारी में दर्ज थी, दुलीचंद के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 के कर्ता खानदान होने से उपरोक्त समस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज कर दी गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता होने के नाते काबिज हुआ। वादी संख्या 1 संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य है तथा वादी संख्या 1 का संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के समान हिस्सा अपने जन्म से ही निहित है। इस प्रकार वादी का वादग्रस्त आराजी में आधा हिस्सा है। संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी सम्पत्ति के बंटवारे की मांग करने पर बंटवारे के समय वादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि है तथा वादी संख्या 1 की माता है, वादी संख्या 1 पुत्र के समान हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है, इस प्रकार वादपत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित 8.22 हैक्टेयर पुश्तैनी कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 समान हिस्सो में सहकृषक है। तथा राजकीय रिकॉर्ड में वादीगण समान हिस्से में समस्त आराजी में सहकृषक के रूप में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। समस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है, जबकि इस आराजी में वादीगण का भी समान हिस्सा है तथा वादीगण का नाम राजकीय अभिलेखों में दर्ज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी के खुर्द–बुर्द करने का सदैव अंदेशा रहता है जबकि वादीगण अपने हिस्सो पर काबिज चले आ रहे है तथा अपने हिस्से की आराजी की आय से अपना भरण पोषण करते आ रहे है। वादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 1 से अपने हिस्से की आराजी पर अपना नाम दर्ज कराने के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम दर्ज नहीं कराया जिससे समस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में चली आ रही है। वाद कारण 15 अप्रेल 1987 को राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम दर्ज कराने से इंकार करने पर उत्पन्न हुआ है। अन्त में वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजी का वादीगण का समान हिस्से से सहकृषक घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम सहकृषक की हैसियत से दर्ज करवाया जावे। वादग्रस्त आराजी का नियमानुसार बंटवारा कराया जाकर वादीगण के हिस्से में आने वाली आराजी अलग–अलग राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई जावे तथा हिस्से में आने वाली आराजी पर दखल दिया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे, वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाई जाने की कृपा करें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.1987 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.1987 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.1987 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.1987 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2/3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता भैरूलाल जी का दिनांक 12.06.23 को माता प्रेमलता बाई का दिनांक 17.04.21 को व भाई राकेश गुप्ता का दिसम्बर 2023 में स्वर्गवास हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.04.24 को राजस्व रिकॉर्ड को देखने पर जानकारी हुयी कि ग्राम बडौदिया व ग्राम रानीपुरा की आराजी, अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज है, जिसपर नकल का आवेदन दिनांक 30. 04.24 को कर दिनांक 22.05.24 को नकल प्राप्त की इससे पूर्व प्रार्थीया को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नही थी। इस कारण दिनांक 01.10.87 से दिनांक 29.04.24 तक की अवधि कन्डोन फरमाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थीया अपने पिता भैरूलाल जी की प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा पिता के जीवनकाल में प्रार्थीया का हक व अधिकार निहित है, किन्तु प्रार्थीया को पक्षकार बनाये बिना ही आदेश करवा लिया जो त्रुटि पूर्ण है। प्रार्थीया की त्रुटि सदभाविक एवं क्षम्य है, न्यायहित में अवधि कन्डोन फरमायी जाकर अपील अवधि मध्य मानी जावे। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया भैरूलाल जी की पुत्री होने के बावजूद भी प्रार्थीया को पक्षकार बनाये बिना ही व तथ्य छिपाकर दावा डिक्री करवा लिया जिसकी जानकारी दिनांक 29.04.24 को हुयी। प्रार्थीया का वर्णित आराजी में हक व अधिकार निहित होने व प्रभावी पक्षकार होने से प्रार्थीया को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के भाई राकेश गुप्ता व माता प्रेमलता गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट की माता प्रेमलता गुप्ता का दिनांक 17.04.21 को स्वर्गवास हो गया है, तथा माता के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 199

ग्राम बडौदिया का अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के नाम इंतकाल तस्दीक कर दिया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के पिता भैरूलाल आत्मज दुलीचन्द जी का दिनांक 12.06.23 को स्वर्गवास हो गया है, तथा अपीलान्ट के भाई राकेश गुप्ता का दिसम्बर 2023 में स्वर्गवास हो गया है। बाद स्वर्गवास अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड देखने पर विवादित आदेश एवं डिक्री की जानकारी हुयी। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि ग्राम रानीपुरा व ग्राम बडौदिया स्थित आराजी भैरूलाल जी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिस पर भैरूलाल जी की दोनो पुत्रियां अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के पिता एवं पति राकेश गुप्ता एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से प्राप्त करने के अधिकारी है। किन्तु अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश एवं डिक्री प्रदान करदी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट भैरूलाल जी के प्रथम श्रेणी के वारिस एवं उत्तराधिकारी है। भैरूलाल जी के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 पुत्रियां होने के बावजूद भी तथ्य छिपाकर डिक्री प्राप्त करली जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय मे न तो कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया और न ही उक्त राजीनामा विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत है, इस प्रकार विधि के विपरीत राजीनामा मानकर डिक्री प्रदान करदी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि वादीगण को प्रतिवादी भैरूलाल जी के विरूद्ध न तो कोई वाद कारण उत्पन्न होता है और न ही वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। और न ही इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है और न ही उक्त दस्तावेजो को प्रदर्श करवाये गये है। सी. पी. सी. के प्रावधानो की पालना किये बिना ही दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। शेष आपत्तियां बवक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन की जावेगी। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 01.10.1987 निरस्त किए जाने तथा अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2/3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का कोई हक अधिकार निहित नहीं है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.10.1987 को पारित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 04.06.2024 को इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट द्वारा गंभीर विलम्ब से अपील पेश की गई है। इतने गंभीर विलम्ब का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बंध नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर कभी भी अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं रहा है। वर्तमान में भी वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी से अपीलांट के किसी प्रकार के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी से प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. में असत्य कथन

अंकित किए है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट अपील मेंमो में अंकित कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.1987 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में अपीलांट पक्षकार नहीं थी। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी के खातेदार भैरूलाल जी की पुत्री है अतः अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही हक अधिकार है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया गया अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.1987 से प्रभावित पक्षकार है। अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत करके अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांट ने स्वयं को खातेदार भैरूलाल की पुत्री होने का कथन किया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के भैरूलाल की पुत्री होने के कथन का कोई खण्डन नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी भैरूलाल के खाते की भूमि है अतः अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.1987 से प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार कायम नहीं किया गया, इस कारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.1987 की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय दिनांक 01.10.1987 को पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 04.06.2024 को पेश गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 228 के अनुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत करने हेतु परिसीमा अवधि 60 दिवस निर्धारित है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील लगभग 36 वर्ष 4 माह पश्चात पेश की गई है। अतः अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील गंभीर विलम्ब से पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में दिनांक 29.04.2024 को राजस्व रिकॉर्ड को देखने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने का कथन किया गया है। अपीलांट ने स्वयं को रेस्पोडेन्टगण वादीगण की संयुक्त परिवार की सदस्य होने का कथन किया है। अतः अपीलांट को वादग्रस्त आराजी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री

दिनांक 01.10.1987 की पालना में कायम की गई राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों की जानकारी होना स्वाभाविक है। अतः अपीलांट को दिनांक प्रश्नगत निर्णय की दिनांक 01.10.1987 के पश्चात कायम की गई राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों की जानकारी नहीं होना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। भारतीय मियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 के अनुसार के अनुसार अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने हेतु विलम्ब का पर्याप्त कारण विद्यमान होना आवश्यक है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में मियाद अधिनियम की धारा 5 में उल्लेखित पर्याप्त कारणों में से कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील प्रस्तुत करने में हुए गंभीर विलम्ब को बिना किसी पर्याप्त कारण के क्षमा किया जाना कानूनन उचित नहीं है। हमारे मत में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक एवं क्षमा योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 170/1987 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.10.1987 यथावत रखी जाती है।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

13. निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

संख्या : 2024 / 116

डाक्टर विनोद गुप्ता पुत्री भैरूलाल पत्नी मुनव्वर शाह जाति महाजन निवासी काफला बाजार टोंक राजस्थान

– अपीलांट

बनाम

1. डाक्टर बृजबाला पत्नी सुरेश पुत्री भैरूलाल जाति महाजन निवासी विकास कॉलोनी बून्दी
2. राकेश गुप्ता आत्मज भैरूलाल मृतक जर्ये कायम मुकामान–
   2/1 मीहीर गुप्ता आत्मज राकेश गुप्ता
   2/2 मान्या गुप्ता पुत्री राकेश गुप्ता नाबालिग जर्ये वली माता राधा गुप्ता
   2/3 राधा गुप्ता पत्नी राकेश गुप्ता जाति महाजन
   निवासीगण मकान नम्बर 257 आदर्श कॉलोनी खेड़ली फाटक, कोटा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

द संख्याः 170 / 1987

1. राकेश गुप्ता आत्मज भैरूलाल गुप्ता नाबालिग जर्ये वली माता प्रेमलता गुप्ता निवासी गंदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. प्रेमलता पत्नि भैरूलाल गुप्ता निवासी गन्दीफली तहसील लाडपुरा कोटा

–वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र दुलीचन्द गुप्ता निवासी खेड़ली फाटक कोटा
2. सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 170/1987 में न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.10.1987 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 15.09.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री घनश्याम नागर तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 2/3 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 170/1987 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.10.1987 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 15.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

15/9/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा